न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2871–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–4–13 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण कमांक 93/निगरानी/2008–09.

———

रामसुन्दर शर्मा तनय जानकी राम (ब्रा.)
निवासी ग्राम कुकुडीझर (बहेराखुर्द लोखड़ी टोला)
तहसील गोपदबनास जिला सीधी म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

1- मिस्त्री बढ़ई तनय रामकिशोर बढ़ई,
निवासी ग्राम जमुनिहा
तहसील गोपदबनास जिला सीधी म.प्र.
2- म.प्र. राज्य ——— अनावेदकगण

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता, श्री शिवप्रसाद द्विवेदी ।
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुशील शुक्ला ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 16/6/2014 को पारित)

———

यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी के प्रकरण कमांक 93/निगरानी/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 24–4–13 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, तहसील गोपदबनास के प्रकरण कमांक 1/अ–19/1984–85 में पारित आदेश दिनांक 2–1–1986 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की गई जिसमें अपर कलक्टर ने दिनांक 24–4–13 को आलोच्य आदेश पारित करते हुए तहसीलदार का व्यवस्थापन आदेश निरस्त किया एवं उन्हें अभिलेख दुरस्त कराने के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से लिखित बहस पेश की गई है । आवेदक की ओर से मुख्य रूप से लिखित बहस में यह तर्क दिए गए हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा

व्यवस्थापन की कार्यवाही विधिवत रूप से की गई थी । तकनीकि त्रुटियों के आधार पर विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त करना अवैधानिक है । जो आधार व्यवस्थापन के आदेश को निरस्त करने के बताए हैं वे अभिलेख पर आधारित नहीं है । यह भी कहा गया है कि अ22 वर्ष उपरांत तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है इस संबंध में उनके द्वारा 1992(1) म.प्र. विधि सुप्रीम कोर्ट 5 का हवाला दिया गया है ।

4— अनावेदक की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में मुख्य रूप से अपर कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश में बताई गई त्रुटियों का उल्लेख किया गया है । यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर के आदेश का पालन किया जाकर भूमि म.प्र. शासन के नाम दर्ज हो चुकी है । उनके द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

5— उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण व्यवस्थापन आदेश के संबंध में है । अपर कलेक्टर ने प्रकरण की विवेचना करते समय यह पाया है कि व्यवस्थापन के लिए जो आवेदन है वह निर्धारित प्रपत्र पर नहीं है और आवेदक किस श्रेणी का भूतपूर्व सैनिक है इसका कोई प्रमाण नहीं है । इश्तहार का प्रकाशन भी विधिवत नहीं है तथा एक माह का इश्तहार जारी नहीं हुआ है । आपत्तियां प्रस्तुत करने के दिनांक आदि का कोई उल्लेख नहीं है । विज्ञप्ति में न्यायालय के प्रोसेस सर्वर तथा माल जमाकर की पंजी का क्रमांक अंकित नहीं है । इश्तहार का प्रकाशन उस भूमि पर जिसका कि इश्तहार में उल्लेख था, स्थित या उसके समीप के किसी सार्वजनिक समागम के स्थान पर चिपकाकर या उसे पास डौंड़ी पीटकर नहीं कराया गया है । इन समस्त परिस्थितियों के कारण उन्होनें तहसील न्यायालय के व्यवस्थापन आदेश को निरस्त किया है । प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित और न्यायिक है उसमें ऐसी कोई विधिक त्रुटि नहीं है जिस कारण प्रकरण में हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर